


तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
29-6-21	पत्रावली पेश हुई, अभिभाषकगण द्वारा न्यायिक कार्य स्थगित/बहिष्कार रखने से पत्रावली दिनांक 30 को पेश हो।	
1-12-21	पत्रावली प्रशासन गाँवों के संग अभियान 2021 कैम्प ग्राम पंचायत भीमडियास में पेश हुई अप्रार्थी शरण के सम्मन बाद तामिल होकर प्राप्त हुए य तट्टसीलपार मॉडल से मौरा रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसे शां पठ किया गया। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।	

  
 डॉ. पूजा  
 उपपण्ड अ  
 प्रशासन गाँवों के संग अभियान 2021



आयाल  
 आसीन अ  
 संख्या :-  
 मती  
 भारत  
 प्रार्थी व  
 किय  
 संयुक्त  
 प्रवा  
 तख  
 प्रस्तु  
 कन  
 गरी  
 तथ  
 तव  
 प्रा  
 ह  
 प्र  
 न

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मांडल ( भीलवाड़ा )

तहसील अधिकारी :- डॉ. पूजा सक्सेना, आर. ए. एस.

क्रमा संख्या :- 230/20 प्र/अप

प्रशासन गाँवों के संग अभियान 2021

प्राथी के नाम पर 10 मगगा तैली निवासी - सुरजपुरा तहसील - मांडल

बनाम श्री भारयण 5/10 प्रताप गाँसी निवासी - सुरजपुरा तहसील - मांडल

(सिलेक्टिड प्रकरण)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956

::आदेश::

दिनांक 01-12-21

प्राथी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा. भू.राज. अधिनियम 1956 के तहत प्रस्तुत कर  
वेदन किया कि ग्राम सुरजपुरा पटवार हल्का भीमसिया तहसील मांडल/में उसके  
संयुक्त खातों की आराजी नं. 462, 463, 464, 465, 466 तहसील मांडल/में उसके  
रकबा 0.8337 हेक्टेयर स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीयण के मध्य आराजी  
तदायिवा के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। जिसमें प्राथी अपने खाते  
संयुक्त खाते की भूमि की पत्थर गद्दी के आदेश प्रदान कराये जावें।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 18-12-20 को पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण को  
ब्लोकनार्थ से यह बात सिद्ध है कि वाद ग्रस्त भूमि प्राथी के खाते एवं कब्जे काश्त की होने से पत्थरगद्दी करने का  
आरी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार की हैरा-फेरी होने का अंदेश  
तथा न किसी प्रकार अधिकार निर्धारित किये जाते है। अतः इन तथ्यों को देखते हुये नैसर्गिक की न्यायिक  
नत के आधार पर आवेदन पत्र प्राथी स्वीकार योग्य है।

:: आदेश ::

प्राथी का प्रार्थना धारा 111-128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम सुरजपुरा  
पटवार हल्का भीमसिया तहसील मांडल में स्थित आराजी नं. 462, 463, 464, 465, 466  
रकबा 0.8337 हेक्टेयर

के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगद्दी किये जाने का आदेश दिया जाता है।  
पत्थरगद्दी किये जाने हेतु भू अभिलेख निरीक्षक सुरजपुरा को 500/-  
के कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस प्राथीगण मौके पर जमा करावें।  
कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकारान की मौजूदगी में मौके व कब्जे की यथास्थिति को बनाये रखते हुए मुस्तकील  
को आधार मानकर पत्थरगद्दी की जावें। फसल खड़ी होने पर पत्थर गद्दी नहीं की जावे।

डॉ. पूजा सक्सेना  
उपखण्ड अधिकारी

मांडल जिला - भीलवाड़ा

प्रशासन गाँवों के संग अभियान 2021

लेपि :- तहसीलदार मांडल को भेजकर लेख है कि प्राथी द्वारा राशि जमा करा कर निरीक्षण पत्थरगद्दी की  
रपालना रिपोर्ट 7 दिवस में प्रस्तुत करें।

उपखण्ड अधिकारी

डॉ. पूजा सक्सेना

मांडल जिला - भीलवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी मांडल  
प्रशासन गाँवों के संग अभियान 2021